भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3406

उत्तर देने की तारीख 20.03.2025

जम्मू और कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों हेतु निधि

3406. श्री मियां अल्ताफ अहमदः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत चार वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर की अनुसूचित जनजातियों (एसटी) हेतु जारी की गई कुल निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) निधि का उपयोग किस प्रकार किया गया है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क): जम्मू और कश्मीर में केंद्र सरकार के कार्यक्रम/योजनाओं के लिए निधि जारी करने का वर्ष-वार ब्यौरा https://stcmis.gov.in पर उपलब्ध है।

(ख): जम्मू और कश्मीर से प्राप्त सूचना के अनुसार, जिस तरीके से निधियों का उपयोग किया गया है, उसका तरीका निम्नानुसार है:

- सभी जिलों से योजना प्रस्ताव प्राप्त होने और जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) से उनके अनुमोदन प्राप्त होने के बाद टीएसएस को एससीए /पीएमएएजीवाई योजना के तहत निधियों का उपयोग किया गया है।
- टीआरआई को सहायता के तहत, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित गतिविधियों के लिए निधियों का उपयोग किया जाता है।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों/ विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) के घटकों के अनुसार ईएमआरएस (निर्माण/उन्नयन/आवर्ती लागत) के तहत निधियों का उपयोग किया जा रहा है।
- एनएसपी पोर्टल के माध्यम से संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर में अजजा के पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति संवितरित की जा रही है।

*****